मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन.

क्रमांक 2726 /2007/बी-1 भोपाल, दिनांक अगस्त, 2007

प्रति,

1. समस्त जिलादंडाधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश।

3. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)
   मध्यप्रदेश।

विषय:-वन क्षेत्रों में सामूहिक अतिक्रमण की घटनाओं पर नियंत्रण करने की कार्यवाही।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधिनियमित होने के बाद राज्य के वन क्षेत्रों में वन भूमि पर सामूहिक अतिक्रमण होने की घटनाओं में तेजी से हुई वृद्धि, असामाजिक तत्वों तथा कतिपय संगठनों द्वारा आदिवासियों एवं अन्य ग्रामवासियों को अतिक्रमण हेतु प्रेरित करने की घटनाओं से कई स्थानों पर प्रशासन से टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

2/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के लिए जहाँ एक ओर वन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, राजस्व विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने के लिए भी वन, पुलिस तथा राजस्व/प्रशासनिक के अधिकारियों के बीच प्रभावी एवं जीवंत समन्वय की आवश्यकता है।

अतः उक्त स्थितियों से निपटने हेतु एतद् द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) वन क्षेत्रों पर सामूहिक अतिक्रमण के प्रयासों की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आवश्यक है कि राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के बीच प्रभावी एवं जीवंत समन्वय सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन अथवा प्रति दूसरे दिन, जैसी आवश्यकता प्रतीत हो, इन विभागों के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से बैठक आयोजित कर वन भूमि पर अतिक्रमण की समीक्षा की जाए। बैठक में जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय वनमंडल अधिकारी तथा संबंधित राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारी उपस्थित रहेंगे एवं आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

(2) वन क्षेत्रों में सामूहिक अतिक्रमण की घटनाओं से निपटने के लिए पूर्वभासी (proactive) कार्यवाही आवश्यक है, जिसके लिए आसूचना संकलन को और अधिक सक्रिय करना वांछित है। पुलिस थाना, पटवारी एवं वनरक्षक के अतिरिक्त ग्राम कोटवारों को भी आसूचना संकलन हेतु

4776
22-8-07
भोपाल
अ.प्र.मु.व.स.(संरक्षण)
म.प्र. भोपाल
APCCF (Prot.)

एकत्र किया जाना आवश्यक है। संकलित सूचना का जिला स्तर पर विश्लेषण, आंकलन एवं आदान-प्रदान कर समन्वित रणनीति बनाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(3) जिला स्तर पर स्थापित वन विभाग के नियंत्रण कक्ष एवं पुलिस विभाग के नियंत्रण कक्ष के बीच त्वरित सूचना का आदान-प्रदान नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए।

(4) वन क्षेत्रों में सामूहिक अतिक्रमण के प्रयास से उद्भूत कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मौके पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तथा अनुविभागीय अधिकारी (वन) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हों, जिससे यथासंभव चर्चा एवं वार्तालाप के माध्यम से ही यथासंभव स्थिति नियंत्रित की जा सके।

(5) सामूहिक अतिक्रमण के प्रयास से उद्भूत कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए समस्त पुलिस बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं वन विभाग के अधिकारी बलवा ड्रिल की सुरक्षात्मक सामग्री यथा हेलमेट एवं बॉडीगार्ड अनिवार्य रूप से पहने, जिससे उग्र भीड़ द्वारा पथराव आदि करने पर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी गंभीर रूप से चोटिल न हों।

(6) सभी पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि ऐसे संवेदनशील थानों में, जिनके क्षेत्रांतर्गत वन क्षेत्र की भूमि पर सामूहिक अतिक्रमण के प्रयासों की संभावनाएँ अधिक हैं, बलवा ड्रिल की आवश्यक सामग्री यथा हेलमेट, बॉडीगार्ड, शील्ड, लाठी, अश्रुगैस सेल तथा गैस गन एवं उद्घोषणा के उपकरण (loud-hailer) चालू हालत में उपलब्ध हों। पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के वाहनों में भी उद्घोषणा उपकरण चालू हालत में उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए।

(7) (i) वन क्षेत्रों में सामूहिक अतिक्रमण के प्रयास से उद्भूत कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सर्वप्रथम स्थिति का सही आंकलन कर आवश्यक एवं पर्याप्त बल भेजना सुनिश्चित किया जाए, जिससे बल के अभाव में पुलिस एवं शासकीय कर्मचारियों को अंदोलनकारियों अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा मार-पीट किये जाने अथवा बंधक बनाये जाने की स्थिति से बचा जा सके।

(ii) हथियारों के साथ पुलिस बल को केवल राजपत्रित अधिकारी के ही पूर्ण-नियंत्रण में भेजा जाए जिससे *आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग होने की संभावना* पर नियंत्रण किया जा सके।

(iii) समस्त पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने अधिनस्थ राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक लेकर उपरोक्त संबंध में मौखिक एवं लिखित निर्देश जारी किये जाएं।

(iv) समस्त थाना प्रभारीगण उनके अधिनस्थ पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को बलवा ड्रिल की सुरक्षात्मक सामग्री के साथ मौके पर जाने तथा केवल अपवादात्मक स्थितियों में आवश्यक होने पर न्यूनतम बल का ही प्रयोग किये जाने के संबंध में निर्देश देना सुनिश्चित करें।

(8) ग्रामीणों को भड़काने में सक्रिय असामाजिक तत्वों, गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जावे एवं आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक व वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।

(9) वन भूमि पर सामूहिक अतिक्रमण की संभावनाओं संबंधी आसूचनाओं एवं घटनाओं की जानकारी से प्रमुख सचिव, गृह एवं पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) को निरंतर अवगत कराया जावे।

(10) जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में वन भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने के लिए गठित की गई Joint Task Force की पाक्षिक बैठकों का कार्यवाही विवरण गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय, गुप्तवार्ता को भी भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे वन भूमि पर हो रहे सामूहिक अतिक्रमण की घटनाओं से उद्भूत कानून-व्यवस्था की स्थितियों से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

(सत्यप्रकाश)
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन, गृह विभाग.

9 AUG 2007

पृ.क्रमांक 2727 /2007/सी-1 भोपाल दिनांक अगस्त, 2007

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. अति.पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय, भोपाल
6. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश
8. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश एवं क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

9.8.07

(संजय राणा)
सचिव,
म.प्र.शासन, गृह विभाग